

ख
म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

10/04/18 राजस्व लोक अदालत अभियान आयोजित किए जाने के संबंध में राजस्व ग्रुप-1 विभाग क पत्र दिनांक 21.04.2018 मे दिये गये दिशा निर्देशों के अंशालना में आज यह पत्रावली मेरे सम्मुख पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मेरी राय मे अकरण लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किये जाने योग्य है। अतः पत्रावली उरण्यकारान को मोटिव नही होकर लोक अदालत के सम्मुख दिनांक 10/04/18 को अरण्यकारान पर पेश हो।

अरण्यकारान अधिकारी
पता :-

प. 678

पत्रावली नाम आपके द्वारे 2018 अदालत क्षेत्र के सिद्धोली में पेश हुई।

पत्रावली का अवलोकन किया। अर्थ का प्रस्तावित है। कृषि क्षेत्र का सम्बन्ध नही है। अतः पत्रावली को अर्थ के अन्तर्गत नही ली जाये। अतः अर्थ के अन्तर्गत का प्रस्तावित है कि क्विन्टि आणजी के अन्तर्गत 857, 497, 589, 849, 850, 860 वाले ग्राम आदरजेज को रतन का ली करे। पत्रावली के अन्तर्गत कुमा आदरजेज के अन्तर्गत ली सलजन मूल का है।

दलेंद्र सिंह
एडवोकेट
बैंच सदस्य
राजस्व लोक अदालत

मदन लाल गान्ध
सेवानिवृत्त तहसील
बैंच सदस्य
राजस्व लोक अदालत

नीलाभ सक्सेना
I.A.S.
अरण्यकारान अधिकारी, अलवर